सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी केकडी

राजस्व इजराय संख्या – 57/2018

अर्जुन पुत्र गोदू रेगर **बनाम** राज. सरकार जरिये तहसीलदार सावर
नि. आमलीखेडा त. सावर, अजमेर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधि. 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
04.05.2018	पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प गोरधा में पेश हुई। प्रार्थी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधि. 1956 के तहत पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार सावर से रिपोर्ट/जवाब ली गई। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की आराजीयात हाल खसरा नम्बर 955 रकबा 0.47 है., खसरा नम्बर 956 रकबा 0.47 है. वाके ग्राम आमली तहसील सावर जिला अजमेर के बाबत पत्थरगढी कराने हेतु वादपत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादपत्र में वर्णित आराजीयात की खातेदारी की आराजीयात है जिसकी जमाबंदी की प्रतिलिपी शामिल पत्रावली है। वादपत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी की प्रतिलिपि के ग्राम आमली के खसरा नम्बर 955 रकबा 0.47 है., खसरा नम्बर 956 रकबा 0.47 है. जो कि वादी अर्जुन पुत्र गोदू रेगर के खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार सावर वादी के नाम दर्ज उक्त खसरा नम्बरों की पत्थरगढी कराने में कोई आपत्ति/एतराज नही है। अतः वादी के वादपत्र में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 955, 956 वाके ग्राम आमली तहसील सावर जिला अजमेर के बाबत वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। वादी से नियमानुसार कमिश्नर शुल्क जमा कर वादपत्र में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को मजमे आम में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया। उपखण्ड अधिकारी केकडी	